न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–2025/01

जी.सी.एम.एस. नं.–2025/42

सरकार जरिये मनीष सिंगला, प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री दीपसिंह पुत्र श्री गंगासिंह निवासी खींचन जोधपुर हाल घडसाना(प्रेम स्वीट्स गोदाम)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

–:निर्णयः–

दिनांकः–25.08.2025

यह इस्तगासा **मनीष सिंगला, प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 23.09.2024 को मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक अनूपगढ़, घडसाना स्थित प्रेम स्वीट्स गोदाम, व्यापार मण्डल पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म प्रेम स्वीट्स गोदाम घडसाना पर श्री दीप सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी खींचन जोधपुर हाल घडसाना मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मैनेजर बताया।

श्री दीप सिंह की उपस्थिति में प्रेम स्वीट्स गोदाम, घडसाना की जांच में पाया कि इस गोदाम में मिठाई बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है, तथा इस कार्य के लिए प्रेम स्वीट्स गोदाम पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जो कि भट्टी/चूल्हे से जुड़ा हुआ नहीं था। तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

श्री दीप सिंह ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा गोदाम मे मिठाई बनाने के व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री दीप सिंह द्वारा उक्त तीनों घरेलु गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री दीप सिंह के पास नहीं मिला।

फर्म प्रेम स्वीट्स गोदाम घडसाना पर पाये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं जय सालासर भारत गैस एजेन्सी, घडसाना के कार्मिक दिनेश कुमार पुत्र देवराज उम्र 43 जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 12 घडसाना, आधार संख्याः 754427094614, मो. 9001511345 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री दीप सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी खींचन जोधपुर हाल घडसाना द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था।

श्री दीप सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह फर्म प्रेम स्वीट्स गोदाम घडसाना के द्वारा घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक का कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (क) (ग) (2), 6, 7(1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

अति. जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने जो तथ्य बताये है उक्त तथ्य कतई गलत एवं मिथ्या है। प्रार्थी किसी प्रकार से

मिठाई के गोदाम में मिठाई बनाने के कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग नही करता और ना ही प्रार्थी के विरूद्ध लगाए गए आक्षेप निराधार है। अप्रार्थी अपने मिठाई के गोदाम में मिठाई बनाने के कार्य में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर ही उपयोग में लेता है जो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी से विधिवत व नियमानुसार खरीद किये जाते है प्रार्थी से कोई घरेलू गैस सिलण्डर बरामद नही हुआ है कथित बरामदगी की समस्त कार्यवाही गलत एवं निराधार है। ऐसी स्थिति में मन अप्रार्थी के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही दाखिल दफ्तर ही न्यायहित में न्यायसंगत है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री दीपसिंह पुत्र श्री गंगासिंह निवासी खींचन जोधपुर हाल घडसाना(प्रेम स्वीट्स गोदाम)** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री दीपसिंह पुत्र श्री गंगासिंह निवासी खींचन जोधपुर हाल घडसाना(प्रेम स्वीट्स गोदाम)** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़
अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़